

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935

No. 28]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSA 30, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

सं. 02/2014-सीमाशुल्क

सा. का. नि.35 (अ).—केंद्रीय सरकार सीमाशुल्क 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में अधिसूचना सं. 12/2012 सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च 2012, सा. का. नि.185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात :-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (i) क्रम संख्या 56 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (ii) क्रम संख्या 58 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (iii) क्रम संख्या 59 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (iv) क्रम संख्या 63 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (v) क्रम संख्या 66 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (vi) क्रम संख्या 69 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

- (vii) क्रम संख्या 71 के सामने , स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "10 %" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[फा.सं. 354/203/2012- टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवसर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा०का०नि० 185(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 53/2013-सीमाशुल्क, तारीख , 26 दिसंबर, 2013 सा.का.नि.794(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2013 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

No. 02/2014-Customs

G.S.R.35 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely: -

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S.No. 56, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (ii) against S.No. 58, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (iii) against S.No. 59, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (iv) against S.No. 63, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (v) against S.No. 66, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (vi) against S.No. 69, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (vii) against S.No. 71, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted.

[F. No. 354/203/2012-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, and was last amended vide notification No.53/2013- Customs, dated the 26th December, 2013., published vide number G. S. R.794 (E), dated the 26th December, 2013.

अधिसूचना

नईदिल्ली , 20 जनवरी, 2014

सं. 02 /2014-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.)

सा. का. नि.36 (अ).—केंद्रीय सरकार उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम,1994 की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,केंद्र सरकार,

एतद्वारा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 में और आगे संशोधन किये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम सेनवैट क्रेडिट (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 होगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन से प्रभावी होंगे।
2. सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12 में, कोष्ठकों, अंकों, अक्षरों और शब्दों "[सा. का. नि. 307 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2007]" के बाद कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द "या सं. 02 /2013-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 06 फरवरी, 2010 [सा. का. नि. 62 (अ), दिनांक 06 फरवरी, 2010]" अंतस्थापित की जायेगी।

[फा.सं. 332/09/2013- टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 23/2004- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), तारीख 10 सितम्बर, 2004, सा०का०नि० 600 (अ) तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं० 01/2014- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), तारीख, 08 जनवरी, 2014 सा.का.नि. 6(अ), तारीख 08 जनवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

No.02/2014-Central Excise (N.T.)

G.S.R.36 (E).- In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 12 of the CENVAT Credit Rules, 2004, after the brackets, letters, figures and words, "[GSR 307(E), dated the 25th April, 2007]" the words, figures, letters and brackets, "or No.1/2010-Central Excise, dated the 6th February, 2010 [G.S.R. 62(E), dated the 6th February, 2010]" shall be inserted.

[F.No.332/09/2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, vide notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004, vide number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended vide notification No.1/2014-Central Excise (N.T.) dated the 8th January, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 6 (E), dated the 8th January, 2014.